259

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /13 R- 3316 III/13

दिनांक 3-9-13 को श्री कुंवर सिंह अग्रवाल अभि० द्वारा प्रस्तुत/
3-9-13
ASO
5.20 P.m प्राप्त

कृपा शंकर पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद शुक्ला, आयु– 67 वर्ष, निवासी– ग्राम व्यौहारी, वार्ड क्र.13, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडौल (म.प्र.)...**आवेदक / निगराकार**

बनाम

1 अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी, निवासी– ग्राम व्यौहारी, वार्ड क्र. 13, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल म.प्र.

2. बृजकिशोर पुत्र रामावतार शुक्ला, निवासी– ग्राम व्यौहारी, वार्ड क्र.15, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल म.प्र.

3. सर्वेस सिंह पिता सत्य नारायण सिंह निवासी– ग्राम मुदरिया, वार्ड क्र.2, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल म.प्र.

4. श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी राजयोग सिंह निवासी– ग्राम व्यौहारी, वार्ड क्र.13, थाना व तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल म.प्र.

5. म.प्र. शासन

............*अनावेदकगण / गैरनिगराकारगण*

403 -Sarans

निगरानी विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार व्यहौरी के राजस्व प्रकरण क्र. 35/अ-12, /11-12 पारित आदेश पत्रिका दिनांक 08.08.13

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

विनम्र पूर्वक प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

1. यहकि, ग्राम ब्यौहारी जनरल नम्बर 485 पटवारी हल्का ब्यौहारी नं. 31 तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल स्थित आराजी खसरा नम्बर 1278/1क रकवा 0.29ए एवं 1278/1ख रकवा 0.29ए. भूमि के भूमि स्वामी क्रमशः आवेदक कृपशंकर शुक्ला एवं अनावेदक क्रमांक 1 अनिल कुमार त्रिपाठी है, उक्त भूमियों का वटांकन श्रीमान तहसीलदार ब्यौहारी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 75/अ-3,/05X06 पारित आदेश दिनांक 21.03.06 को हुआ। जिसकी अपील अनावेदक क्रमांक 1 अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के समक्ष प्रस्तुत की, जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अपील/अ-3, /2007-08 सांस्थित कर दिनांक 05.12..2007 को खारिज कर दी गई। जिसकी कोई अपील /निगरानी अनावेदक अनिल कुमार द्वारा कहीं नहीं दी गई। जिससे वह आदेश यथावत एवं स्थिर है तथा उक्त भूमि का सीमांकन श्रीमान तहसीलदार व्यहौरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 43अ-12/ 2004-05 पारित आदेश दिनांक 30.05.2005 के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। जिसकी भी अपील/निगरानी किसी भी न्यायालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं हुई है। इसके पश्चात् अनावेदक अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा

—2—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला— शहडोल

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3316—तीन/2013

कृपा शंकर विरूद्ध अनिल कुमार त्रिपाठी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार व्यहौरी, जिला—शहडोल के प्रकरण क्रमांक 35/अ—12/2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 08—08—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 10—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 15.03.19	